



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-19.02.2024

“आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 30,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-412/2021 धारा 363,366,376 भा0द0वि0 व ¼ पॉक्सो एक्ट, मु.नं.-102/2022 से सम्बन्धित अभियुक्त 1-शनि सिंह पुत्र भोला सिंह निवासी ग्राम-रसूलगढ़, थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक सारनाथ व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो-III जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 363 भा0द0वि0 में 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 366 भा0द0वि0 में 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड तथा धारा ¼ (1) पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/- रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी